



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941

No. 415]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

सं. सी यू के/एसटीएटी/संशोधन/12.—कोर्ट के गठन से संबंधित केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 10 का संशोधन

धारा 26 (ख) जो धारा 27(2) एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि 10 के साथ पढ़ाया जाए।

मौजूदा संविधि 10 की धारा (6)	संविधि 10 की धारा (6) का संशोधन
(6) निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय कोर्ट का गठन;	(6) निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कोर्ट का गठन;

डॉ. ए. राधाकृष्णन नायर, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4 असा./302/19]

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA**NOTIFICATION**

New Delhi the 15th November, 2019

No. CUK/STAT/Amendment/12.—Amendment to Statute 10 of Central University of Kerala on the constitution of the Court

Section 26(b) read with Section 27(2) and Statute 10 of Central Universities Act, 2009

Existing Clause (6) of Statute 10	Amendment to Clause (6) of Statute 10
(6) Constitution of the Second Court of Central University of Kerala with the following members;	(6) Constitution of the Court of Central University of Kerala with the following members;

Dr. A. RADHAKRISHNAN NAIR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./302/19]